SHRIMATI VEENA VERMA: Madam I introduce the Bill.

THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL, 1995

SHRIMATI VEENA VERMA (Madhya Pradesh): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973.

The question was put and the motion was adopted.

SHRIMATI VEENA VERMA: Madam, I introduce the Bill.

THE MUSLIM WOMEN (PROTECTION OF RIGHTS ON DIVORCE AMENDMENT BILL, 1995

SHRIMATI VEENA VERMA (Madhya Pradesh): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986.

The question was put and the motion was adopted.

SHRIMATI VEENA VERMA: Madam, I introduce the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): The Abolition of Child Labour in Hazardous Employment Bill, 1995. Shri Rajubhai A. Parmar. ...Not here. Now let us take up the motion moved by Shrimati Chandra Kala Pandey on 2nd June 1995 to amend the Railway Protection Force Act, 1957. Shri Sangh Priya Gautam.

THE RAILWAY PROTECTION FORCE (AMENDMENT) BILL, 1994

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदया, भारतवर्ष में रेल का बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है। हमारे देश में रेलवे एक बड़ा संस्थान है जिसमें भारी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है और रेलवे के कारण देश के विकास में बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले कई वर्षों से इस रेल के जाल को और ज्यादा बढ़ाने में सहायता मिली है। रेल लाइनों का दोहरीकरण हुआ है, छोटी लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तन हुआ है। भारी संख्या में रेल गाड़ियां बढ़ाई गई हैं, चलाई गई हैं, उनकी दूरियां बढ़ाई गई हैं। रेल गाड़ियों की गति बढ़ाई गई है। इसके साथ-साथ काफी सुविधाजनक रेल गाड़ियां भी चलाई गई हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां पर अभी रेल गाड़ियां चलाई जानी थीं, बिछाई जानी थीं, स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी वहां रेल लाइनें नहीं पहुंची हैं। शिमला में जहां अंग्रेजों ने अपने जमाने में रेल लाइन बिछाई थी वहां अभी तक नैनीताल और कुमाऊं के क्षेत्र में रेल लाइन नहीं बिछी है। पता नहीं कब तक बिछेगी। कश्मीर में रेल लाइन नहीं पहुंची है। जब अंग्रेज पहाड़ों पर रेल लाइन बिछा सकते थे तो हमारी समझ में नहीं आता कि अब ऐसी कौन सी तकनीकी परेशानी है कि वहां पर रेल लाइन नहीं बिछाई जा रही है। एक परेशानी हो सकती है वह है धन की। मैं जानना चाहता हूं कि रेल लाइन इन क्षेत्रों में क्यों नहीं बिछाई गई? अगर सभी क्षेत्रों में रेल लाइन बिछाई गई होती तो इन क्षेत्रों का विकास हो गया होता। मैं मंत्री जी का ध्यान विशेषरूप से खींचना चाहूंगा। मैं आपकी काफी प्रशंसा कर रहा हूं क्यों कि आपने कई अच्छे काम किये हैं। **(व्यवधान)** मैं नाशुक्रा आदमी नहीं हूं। जो हुआ है उसे कहूंगा। जो ओमिशन है उसे भी कहूंगा और जो कमीशन है उसे भी कहूंगा।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश): कमीशन की बात कह दीजिए।

श्री संघ प्रिय गौतम: कमीशन की बात आपने कही, ठीक कहा। जो आदमी अच्छा काम करता है यदि उसकी प्रशंसा की जाए तो उसका हौसला बुलन्द होता है और उसका मनोबल बढ़ता है, उस काम को और आगे बढ़ाने में उसकी रुचि होती है। अंततोगत्वा यह कोई मंत्रालय का या मंत्री जी का व्यक्तिगत काम नहीं है। देश का काम है इसलिए सब का फर्ज़ बन जाता है कि अच्छा काम करने वालों को ईनाम और गलत काम करने वालों को दंड यह प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए।

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ): आप इतने अच्छे आदमी उधर क्यों बैठे हैं?

श्री संघ प्रिय गौतम: इसलिए कि सारे अच्छे आदमी इधर आ गये हैं। मुझे स्वयं रेल गाड़ी में चलने का काफी अनुभव है और मैं बड़ी बारीकी से सब चीज देखा करता हूं। यह जो विधेयक है—रेल संरक्षण बल, इसमें और उसकी शक्तियों का जो विधेयक है उसमें

संशोधन चाहते हैं। आखिर क्यों? इसका जो जिस्ट है, भावार्थ है वह यह है, रेलवे की जो सम्पत्ति है उसकी सुरक्षा हो। उसका बचाव चाहते हैं, उसकी प्रोटेक्शन चाहते हैं। रेलवे सम्पत्ति एक बड़ा वृहद् विषय है। रेलवे सम्पत्ति केवल रेल गाड़ियां ही नहीं है, रेल की सम्पत्ति केवल रेलवे प्लेटफार्म ही नहीं है, रेलवे लाइनें ही नहीं हैं बल्कि इसके साथ-साथ दोनों तरफ छूती हुई जमीन है, वह भी है। रेलवे के साथ जो नाले लगे हुए हैं प्लेटफार्म पर वह भी है।

जो रेलवे के पेड़ लगे हुए हैं वे भी रेलवे की सम्पत्ति है। जो रेलवे लाइन इस्तेमाल में न हो, लेकिन जो बड़े बड़े स्टेशनों पर बिछी हुई है-अगर वहां रेल गाड़ियों का जमघट हो जाए तो वह कहां खड़ी होगी? वे आपातकालीन स्थिति में उन ट्रेक्स पर खड़ी की जा सकती है। अब हम चाहते हैं कि नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बहुत सी गाड़ियां स्टेशन के बाहर इसलिए खड़ी रहती है क्योंकि ट्रैक खाली नहीं होता। छोटे-छोटे स्टेशन हैं, दूर-दराज के स्टेशन हैं जहां पर ट्रैक खाली पड़े हुए हैं, ये भी रेलवे की सम्पत्ति है।

आज रेल गाड़ियों की बहुत दुर्दशा है। उनका रख-रखाव, उनकी सुरक्षा, उनकी सेक्युरिटी भलीभांति नहीं होती। ए-सी टू टियर और ए०सी० फर्स्ट टियर में खिड़कियों के शीशे टूटे हुए आपको मिलेंगे। यह कैसे टूटते हैं? लोग ईट पत्थर फेंकते हैं। आपका रेलवे संरक्षण बल जो 80 हजार के करीब का या इससे भी ज्यादा संख्या में है उसका काम यह देखना है कि रेलवे को इस तरह का कोई नुकसान न हो। इन शीशों का रिप्लेसमेंट भी कास्टली है और वह होता भी नहीं है। रेलों के शौचालयों में जो शीशे लगे हुए हैं वह तो वहां से गायब हो जाते हैं। रेलों में जो पंखे हैं लोग उन पंखों को निकाल ले जाते हैं। बहुत से पंखे गायब हो जाते हैं। मैं सारी चोरियां वाली बात कर रहा हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपने यह नहीं किया, वह नहीं किया। वहां से पंखे चले जाते हैं, शौचालयों से शीशे चले जाते हैं, खिड़कियों के शीशे टूट जाते हैं। महोदया, इसके अलावा प्लेटफार्म पर जो नल होते हैं उनकी टोंटियां गायब हो जाती हैं। मैंने कई जगह देखा है। अलीगढ़ के पास एक स्टेशन है। वहां पर गाड़ी रुकी तो मैं उतर कर प्लेटफार्म पर आया और स्टेशन की दीवार देखने लगा। तो मैंने देखा कि वहां दीवार टूटी है और जो ईंटें पड़ी हुई हैं लोग उनको उठाकर ले जा रहे हैं। इस तरह से दीवार की ईंटें भी चली जाती है। यह जो रेलवे की प्रापर्टी है इसकी कहां सुरक्षा हो रही है, कहां इसका प्रोटेक्शन हो रहा है? यह हमारे लिए एक बड़ी चिंता का विषय है जिसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो संबंधित अधिकारी है जिनकी यह जिम्मेदारी है उसको वह सही तरीके से नहीं निभा रहे है। इसलिए यह आवश्यक है कि यह बात उनके ध्यान में लाई जाए कि यह आपका कर्तव्य है और आप उनको मजबूर करें कि वह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें।

महोदया, जब यात्री रेल गाड़ी में चढ़ते हैं तो उनका सामान भी उनके साथ होता है। मैं क्षमा चाहूंगा, बिहार का कोई सदस्य बुरा न माने लेकिन आमतौर से कलकत्ता की तरफ जाने वाली गाड़ियों में बिहार क्षेत्र में बड़ी चोरियां होती हैं। मेरा सगा भानजा जो कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर है, वह कलकत्ता में पोस्टेड हुआ तो वह अपना सारा सामान ट्रांसफर पर लेकर आया। उसमें उसकी पत्नी के जेवरात भी थे। बिहार में कालका मेल जैसी गाड़ी में से सामान थोड़ी सी देर में चोरी हो गया। उसमें पुलिस के लोग भी थे और आपके आर०पी०एफ० के लोग भी थे। सामान चोरी हो गया और विडंबना यह है कि सामान चोरी होने के बाद जब उसकी आंख खुली और जब उसको पता चला कि वह सी०आर०पी० में रिपोर्ट लिखाने के लिए गया जब गाड़ी अगले स्टेशन पर रुकी। उन्होंने कहा कि यह घटना हमारे क्षेत्र में नहीं घटी है, यह हमारी सीमा क्षेत्र के बाहर है। इसलिए जहां यह घटना घटी है वहां आप रिपोर्ट लिखवाइए। रिपोर्ट तो कहीं भी लिखी जा सकती है। हां, इन्वेस्टीगेशन वही करेगा जिसके जूरिस्डिक्शन में चोरी हुई है। यह बड़ा सीधासादा कानून है। उसकी रिपोर्ट ही नहीं लिखी गई। आए दिन यात्रियों का सामान चोरी चला जाता है। यात्रियों का सामान चुराते समय अगर कोई दूसरा यात्री चोर को पकड़ने की कोशिश करता है तो उसकी पिटाई होती है और कभी कभी मर्डर भी हो जाते हैं और आपकी पुलिस और आर०पी०एफ० देखती रह जाती है। यह जो यात्री रेल गाड़ियों में है जो किराया दे कर के बैठे हैं, जब आप उनको दुर्घटना के समय कम्पेनसेशन दे सकते हैं तो जब तक वह रेलगाड़ी में है, उनकी जान-माल और इज्जत पर हमला हो तो आप उसको भी प्रोटेक्ट करें। आप उसकी भी रक्षा करें। लेकिन यह नहीं होता है। इसलिए अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। मंत्री जी, आपकी मालगाड़ी सामान ढोती है। आप मेहरबानी कर के अगर एक दिन किसी स्टेशन पर चले जाएं तो रेलवे स्टेशन पर आपको आम तौर से बहुत से लोग कोयला चुनते हुए दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि यह कोयला गिर जाता है। यह वह कोयला होता है जो खुले रैक्स में आता है। स्टेशन पर गाड़ी धीमी हुई या सिग्नल

[श्री संघ प्रिय गौतम]

पर लोग ऊपर चढ़ कर कोयला गिराते रहते हैं और दूसरे लोग कोयला चुनते रहते हैं। यह आपके रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लोग भी देखते रहते हैं। यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं कभी सुनी हुई बात नहीं करता हूं। मैं आपकी आंखों से जो देखता हूं वही बात कहता हूं। लकड़ी के कोयले का भी ढेर पड़ा रहता है उसमें से कोयला भर कर लोग ले जाते हैं। इसके इलावा आपके बहुत से वेगंस ऐसे होते हैं जिनमें ताला नहीं लगता और वहां पर एक तार लगा देते हैं। तार टूट जाती है और दरवाजा खुल जाता है और सामान वैगंस में गिरने लगता है और लोग उसको उठा कर ले जाते हैं। एक बात छोटी सी है लेकिन कितनी नुकसानदायक है। आपकी मिट्टी, पत्थर कंकड़ ढोने वाले डिब्बे हैं। उन डिब्बों में कंकड़ के साथ छोटे-छोटे कंकड़ मिट्टी के रूप में आ जाते हैं अब कंकड़ ढोने वाली गाड़ी कहीं खड़ी हो गई। मैं अभी जोधपुर से आ रहा था तो रास्ते में स्टेशन का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद रिवाड़ी या कोई और स्टेशन था, मैंने देखा कि मिट्टी और कंकड़ जो उन डिब्बों में रह गये थे क्योंकि गाड़ी कई महीने से खड़ी थी, उन पर घास उग आई और पेड़ उग आए अर्थात् डिब्बे के ऊपर घास और पेड़ उग आए। मिट्टी के ऊपर जब पानी जाता है तो डिब्बों में जंग लगेगा और जब जंग लगेगा तो लोहा कमजोर हो जाएगा। यह किस की जिम्मेदारी है? जब आप प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो आपकी फोर्सेज रेलवे की प्रोपर्टी की सुरक्षा क्यों नहीं करती है? This is also a railway property. Who will protect it? Who is responsible for its protection? आप उनकी जिम्मेदारी निर्धारित करें। मंत्री जी कभी रेलगाड़ी में शताब्दी से चले जाइये। लेकिन दिल्ली में एक स्टेशन पड़ता है सदर बाजार और सदर बाज़ार से आगे एक स्टेशन है सब्जी मंडी। आप वहां चले जाइये। जो ट्रैक के किनारे रहने वाले लोग हैं उन्होंने कूड़ा डाल कर आपके दो ट्रैक ही बन्द कर दिये हैं। आपके ऐक्ट में यह भी प्रावधान है कि गाड़ी के मूवमेंट में जो बाधा डाले उसको भी आप प्रोटेक्ट करेंगे जब आपका ट्रैक ही बन्द हो जाएगा तो रेलगाड़ी नहीं चलेगी। जब रेलगाड़ी नहीं चलेगी तो माल का आवागमन नहीं होगा। आप खुद उसको जा कर देख लीजिये। आपकी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लोग क्यों नहीं रोकते हैं? एक बात और है जो है तो बहुत छोटी, मैं सम्मानित सदस्यों से माफी चाहूंगा। शहरों के अन्दर आम तौर से लोग रेलवे ट्रैक पर बैठ कर शौच करते हैं और गंदगी करते हैं। जब कभी रेलगाड़ी को सिग्नल न मिले और सिग्नल से बाहर खड़ी हो जाए तो कितनी परेशानी होती है। इन्हें कौन रोकेगा? अभी मैं चण्डीगढ़ से आ रहा था। अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन पर मुझे एक बड़ा अजीब नज़ारा देखने को मिला। अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन पर रेलवे लाइनों के बीच में, स्टेशन के बीच में चारदीवारी के अंदर लोगों ने मकान बना लिये हैं—कच्ची मिट्टी के और सैकड़ों लोगों ने, जैसे यहां झुग्गी झोपड़ियां डाल लेते हैं, वहां झुग्गी झोपड़ियां डाल ली हैं। वे तो वहां से हटेंगे नहीं। वे कैसे वहां आ गए, वहां की जमीन पर कब्जा तो किया ही और उनकी बकरियां भी मैंने देखी। बकरियां रेल लाइन पर जा रही है। वहां से आ रही है शताब्दी एक्सप्रेस, हिमालयन क्वीन जिसमें हम बैठकर आए और वहीं उनकी गाय बंधी हुई है, उनकी भैंस बंधी हुई है। मंत्री जी देखने में ये बातें बहुत छोटी लगती है लेकिन इनकी तरफ आपका कोई ध्यान नहीं है, आपकी इस रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का कोई ध्यान नहीं है। अगर यही गति रही तो तमाम जमीन पर इन्क्रोचमेंट हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा अनाधिकार।

रेलवे के किनारे बहुत जमीन पड़ी हुई है। हम बराबर उसके लिए सुझाव देते रहे। अंग्रेजों के जमाने में जब रेल लाइनें बिछीं तो उन्होंने मील के जैसे पत्थर लगवा दिए थे दोनों तरफ बजाए बाउंड्री वाल बनाने के। हमने कई बार सुझाव दिया कि इस जमीन में आप पेड़ उगवा दीजिए तो पेड़ों के उगने से आम के आम और गुठलियों के दाम मिलेंगे। आपकी जमीन की रक्षा हो जाएगी, बच जाएगी इन्क्रोचमेंट से और पेड़ जब बड़े हो जाएंगे, फलदार होंगे तो उनकी बहार भाड़े पर उठा दीजिए। आपको पैसा देते रहेंगे। अगर लकड़ी है तो आपकी वह लकड़ी बिक जाएगी। इन द लांग रन जब तक न उगा सकें आप लोगों को ठेके पर दे दीजिए। इतने फायदे होंगे। लेकिन यह व्यापक पैमाने पर नहीं हुआ है और उस जमीन पर लोगों ने कब्जा कर लिया।

मंत्री जी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं हापुड़ की रेलवे लाइन जब बाबूगढ़ छावनी से खिजधार तक जाती है—आपको थोड़ा सा हिस्सा दिला रहा हूं— तो बाउंड्री से लगे हुए किसानों के खेत हैं, लोगों ने बाउंड्री पार करके रेलवे की लाइन तक खेती कर ली है। अब डिमारकेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको। पेड़ आपके लगे हुए नहीं हैं, बाउंड्री आपकी लगी हुई नहीं है और वे उनके खेत के अंदर आ गए हैं। आप उनको डिमारकेट कैसे करेंगे, उनसे पजेशन कैसे लेंगे। इससे ज्यादा अच्छा यह था कि ऐसी जमीन आप लीज पर भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को उठा देते तो उन्हें भी काम मिलता और आपकी जमीन की रक्षा भी हो जाती। आज

उसकी भी रक्षा नहीं हो पा रही है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को जहां हम अधिकार दिलाना चाहते हैं वहां वे अपने दायित्व का भी निर्वाह करें इस पर भी हमें जोर देना चाहिए। आपको इस पर जोर देना चाहिए ताकि रेलवे विभाग की पवित्रता बनी रहे। मैं समझता हूं कि दुनिया के सबसे बड़े देशों में मेरे ख्याल से सबसे बड़ा यह भारत का रेलवे संस्थान है जो इतना बड़ा काम करता है। यह और ज्यादा तरक्की करे लोगों में इसका विश्वास बढ़े और लोग इसको कोई नुकसान न पहुंचाएं इसलिए ये लोग अपने दायित्व का निर्वाह करें।

अब मैं मेन मुद्दे पर आता हूं। ये बहुत छोटे शब्दों के भावार्थ हैं। कुछ तो तकनीकी संशोधन है। अब स्थिति यह है कि आपने लिखा है "इनरोल्ड मेम्बर"। मेम्बर आफ पार्लियामेंट है, अब उसको हम कहें, "इनरोल्ड मेम्बर आफ पार्लियामेंट"। व्यहाट इज इट मीन? मेम्बर आफ पार्लियामेंट, मेम्बर आफ पुलिस फोर्स, मेम्बर आफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इनरोल्ड हों। इनरोल्ड इज ए सुपरफ्लुअस वर्ड। तो आपको हटाना चाहिए यह शब्द। यह सुपरफ्लुअस शब्द है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मीनिंगलेस है। इसके अलावा आपने कहा, आर्म्ड फोर्स। अब आर्म्ड पुलिस फोर्स के मायने अलग है, जैसे पी०ए०सी० है—प्राविंशियल आर्म्ड कांस्टुबुलेरी। लेकिन अगर प्राविंस की फोर्स है, पुलिस है तो आटोमैटिकली पुलिस से मतलब है कि पुलिस इज आल्वेज आर्म्ड। उसके पास तो आर्म्स रहेंगे ही। जब यह रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है तो आर्म्स तो इनको मिलेंगे ही। तो यह शब्द भी सुपरफ्लुअस है। अगर यह भी हटा दिया जाए तो यह संशोधन भी बड़ा वाजिब है। लेकिन यह बात बड़ी सही है कि उनको यह पावर है, उनकी ड्यूटी है कि कोई चोरी कर रहा है माल की तो आप उसे पकड़ लीजिए। अब चोरी करते हुए पकड़ तो लिया और उसका नाम भी फोर्स है और उनके पास हथियार भी है लेकिन इन्वेस्टीगेशन की उनको कोई पावर नहीं है। अब जब उनको इन्वेस्टीगेशन की पावर नहीं है तो फिर जितनी क्षमता और जितनी तेजी अपराध और अपराधी को नियंत्रित करने में आनी चाहिए वह नहीं आते और वे डरते भी है। लिहाजा जिस तरह से पुलिस को इन्वेस्टीगेशन की पावर है रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स को भी इन्वेस्टीगेशन की पावर होनी चाहिए। खास तौर से अब उनका दायित्व यह है कि वह अपराधी को पकड़ेंगे, बगैर वारंट के पकड़ सकते हैं उनको इतनी पावर है तो फिर वे इन्वेस्टीगेशन क्यों नहीं कर सकते, यह भी कोई लाजिकल बात नहीं है समझ में नहीं आती है। इसलिए विवेचना करने का अधिकार रेलवे संरक्षण बल को होना चाहिए और इस तरह से पुलिस के अंदर सिपाही, हैड कांस्टेबल, सब-इंसपैक्टर, इंसपैक्टर, डिप्टी एस०पी०, एस०पी० जब इनका भी डाइरेक्टर जनरल, इंसपैक्टर जनरल, चीफ सैक्यूरिटी आफिसर, सैक्युरिटी आफिसर इस तरह से होते हैं तो उसी तरह से उनकी शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। उसी तरह से उनके अधिकारों का विभाजन होना चाहिए जिस तरह से कि पुलिस का होता है। पहले इन रेलवे संरक्षण बल वालों को अपनी एसोसिएशन बनाने का अधिकार था, लेकिन बाद में वह अधिकार समाप्त कर दिया गया। अब यह अधिकार समाप्त होने से जो उनके अधिकार है वे उनके बारे में कोई अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाते। लोकतंत्र में बात को मनवाने का जो दो तरीके थे तो कारगर नहीं रहे। पहला तरीका तो यह था कि वे आफ् परसुएशन, आपसी वार्तालाप से समस्याओं का समाधान करें। आजकल बड़ी हठधर्मिता हो गई, आपसी वार्तालाप से कोई बात मानने को तैयार नहीं है, चाहे कितनी ही जेनुयन बात हो। दूसरा तरीका था कानूनी, लीगल, वैधानिक और संवैधानिक और संवैधानिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी कोई अगर आर्डर कर दे, निर्देश या निर्णय दे दे तो राजनीतिज्ञ उसको क्रियान्वित नहीं करते, इंप्लीमेंटेशन नहीं करते। मेरे ध्यान में बहुत से ऐसे मामले हैं जो आज तक हल नहीं हुये। इसलिए जो तीसरा तरीका है आजकल वही कारगर रह गया है कि शक्ति का प्रदर्शन, लोकतंत्र में जो ज्यादा कर देगा यानी संगठन में ही शक्ति है। वही कहावत सही चरितार्थ हो रही है। तो जब उनका संगठन ही नहीं है तो उनकी शक्ति नहीं है। रेलवे संरक्षण बल जो है उनकी एसोसिएशन आपने भंग कर दी है। उनको कह दिया कि नहीं बना पायेंगे। तो उनका संगठन नहीं है। जब संगठन नहीं है तो उनकी शक्ति नहीं है, और जब शक्ति नहीं है तो उनके अधिकार उनको प्रदत्त नहीं है, प्राप्त नहीं है। इसलिए डेपुटेशन पर तो खैर आने बंद हो गए तो प्रोमोशंस प्रोन्नति में भी उनके सामने बाधा आती है। यह इस तरह से जब पुलिस में तो कोई आदमी आई०ए०एस० वाला जाता नहीं है, आई०पी०एस० में आई०जी० के लिए डी०आई०जी० और इसके लिए लेकिन आज सब जगह में चाहे कोई आईस फैक्टरी हो, चाहे कोई लोहे की फैक्टरी हो, चाहे कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, ब्यूरोक्रेट आई०ए०एस० सब जगह चले जाते है। एम०डी० हो करके और चेयरमैन हो करके चले जाते है। तो यह रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स में ही दूसरे अधिकारी क्यों डेपुटेशन पर आएं उन्हें भी इस तरह का अवसर मिलना चाहिए कि वे

[श्री संघ प्रिय गौतम]

यं प्रोन्नत होते रहें उन बड़े से बड़े पदों के लिए और इसलिए वे अभी होंगे जब उन्हें अपनी बात मनवाने का अवसर मिलेगा। इसलिए उनकी एसोसिएशन बनाने की उनको इजाजत होनी चाहिए और उसे मान्यता प्रदान की जानी चाहिए।

जहां तक इसमें छोटे-मोटे संशोधन है वे सब टैक्नीकल है और जिन्होंने श्रीमती चन्द्रकला पांडेय जी, सम्मानित सदस्या ने इस बिल को जो प्रस्तुत किया है वह इस पर रोशनी डालेंगी। मैं आपके द्वारा इस प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं और मैं मांग करता हूं सरकार से कि सरकार को स्वयं इसमें संशोधन करना चाहिए। और सरकार से मांग करता हूं कि सरकार को स्वयं इस में संशोधन करना चाहिए और रेल और रेलवे की संपत्ति को क्षति से बचाने के लिए, उस की सुरक्षा के लिए, उस के रख-रखाव और बचाव के लिए इस पर जोर देना चाहिए और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को अधिकार भी प्रदान किए जाने चाहिए। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): धन्यवाद, गौतम जी। श्रीमती कमला सिन्हा।

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार): धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदया। यह रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अमेंडमेंट बिल, 1994 जो माननीय सदस्या श्रीमती चन्द्रकला पाण्डेय ने उप-स्थापित किया है, मैं इस पर अपनी राय रखने के लिए खड़ी हुई हूं।

महोदया, रेलवे हमारे देश का एक ऐसा सिस्टम है जैसे कि हमारे शरीर में खून लेकर जाने वाली शिरा या धमनी है, उसी तरह से इस देश के लिए रेलवे सिस्टम है। महोदया, हर रोज साढ़े 12 हजार पैसेंजर ट्रेंस लाखों लागों को लेकर जाती है। माल ढोनेवाली गाड़ियां भी इस से ज्यादा है और ये रेलगाड़ियां देश के एक कोने से दूसरे कोने, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, मध्य भारत से उत्तर भारत और उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाती है। अगर यह कहा जाय तो गलत नहीं है कि अनेको देशों का जो आकार-प्रकार और आबादी है, उससे कई गुना बड़ा हमारा रेलवे सिस्टम है और यह दिनों-दिन बड़ा होता जा रहा है क्योंकि यही आम जनता के लिए सुविधाजनक आवागमन का साधन है।

महोदया नई-नई गाड़ियां चल रही है, तेज चलने वाली गाड़ियां चल रही है। यह दूसरी बात है कि ट्रैक्स का रख-रखाव नहीं हो पा रहा है, एक्सीडेंट्स होते रहते है, लेकिन नित्य-प्रतिदिन गाड़ियों का चलना और नई-नई गाडियों का चालू होना जारी है और दुनिया के विकसित देशों जैसे अमेरिका में एम० ट्रैक है या इंगलेंड की ट्रेंस जिस तरह की है हमारे यहां भी तेज चलने वाली कम दूरी की गाड़ियां शुरू की जा रही है। पैसेंजर ट्रेंस है जिन में एक शहर से दूसरे शहर में लोग काम करने जाते है। इसी दिल्ली शहर में नित्य प्रतिदिन हजारों लोग 50-100 किलोमीटर की दूरी तय कर के काम करने के लिए जाते है और शाम को वापिस घर लौटते हैं। इसी तरह हर रोज दो घंटा, तीन घंटा लगाकर जो बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज हैं या शहर है वहां लोग आते-जाते रहते हैं। कलकत्ता, बंबई, मद्रास और सूरत के कुछ इलाके या जहां भी बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज है वहां हर जगह से लोग आते-जाते रहते हैं।

महोदया, रेलवे सिस्टम की शुरूआत पिछली सदी के आरंभ में हुई थी जब अंग्रेजों ने इस देश में औद्योगिकरण की शुरूआत की थी। उस के साथ-साथ हमारे देश में कोयले की, लोहे की खदान खोली गयी और भी अन्य कामों के लिए रेलवे सिस्टम का इस्तेमाल होता रहा। महोदया रेलवे सिस्टम शुरू होने के साथ ही रेलवे ट्रैक के पास हमेशा कुछ जमीन छोड़ी जाती रही और माननीय गौतम जी ने यह बात सही कही कि रेलवे के पास इतनी जमीन है पूरे देश में ऐसी कोई दूसरी सार्वजनिक संस्था नहीं है जिसके पास इतनी अगाध संपत्ति हो। इस तरह रेलवे विभाग अपने आप में एक सरकार है। इस में 20 लाख श्रमिक काम करते हैं और 2-3 लाख कैजुअल मजदूर काम करते है। अब इन्होंने ठेकेदारी के मजदूर लगाना भी शुरू किया है। तो इस तरह से जहां इतना लोग काम करते है क्योंकि the Railways is the biggest employer of this country. The Railways is the biggest freight-earning institution of this country. तो कालक्रम में जब से इस देश में रेलवे शुरू हुई, उस के बाद से धीरे-धीरे व्यवस्था और जटिल होती गयी। लोगों ने ज्यादा आवागमन शुरू किया। इस देश में भारतवर्ष की संरचना दो तरह की हिन्दुस्तान की आजादी के बाद हो गई — एक तरफ गरीब लोगों की संख्या बढ़ने लगी और दूसरी तरफ लोगों की संख्या बढ़ने लगी। इसी के साथ एक तीसरी तरह के लोग आए, जो जल्दी से धनी बनना चाहते थे, जल्दी से क्विक मनी पाना चाहते थे, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी, अपराध करने वालों की। इनका सबसे पहला टारगेट क्या था? वह था रेलवे। बड़ा आसान से क्योंकि इसमें पैसेंजर निहत्थे चलते है। रेल का जो सेकेण्ड क्लास हो, फर्स्ट क्लास, ए०सी० हो, एअर कंडीशन हो, उसमें यात्रा करने वाले पैसेंजर निहत्थे होते हैं, कोई हथियार या बम, गोले लेकर

नहीं चलते। उनको लूटना बड़ा आसान होता है। कुछ लोग चढ़ गए। रिवाल्वर तान दिया और सारा सामान लूटकर चले गए। गौतम जी ने कहा कि उनके भतीजे का सारा सामान लूटा गया। मैं अपनी बताती हूं। मैं जा रही थी, मेरे पति उन दिनों बिहार में केबिनेट मिनिस्टर थे, मैं जा रही थी पुरी। तो कलकत्ता में हमारा सामान उतर गया। मैं ट्रेन में और मेरा सामान लेकर कोई चलता बना। मैंने कंम्पलेंट की, कुछ बात नहीं बनी। मैं जब पुरी स्टेशन पर उतरी तो वहां लोग इन्कलाब, जिंदाबाद करते हुए आए रिसीव करने, पूछा कि आपका सामान कहां है। मैंने कहा कि मेरा सामान तो सब चोरी हो गया। तीन दिन रहना था तो यह बात कई बार होती है। जब हम लोगों के साथ ही होती है तो बाकी का क्या कहना।

मैडम, चोरी को रोकने के लिए सरकार ने दो प्रोटैक्शन फोर्स बनाई है, एक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो कि रेलवे की संपत्ति की रक्षा करे और दूसरी रेलवे के जो साधारण नागरिक, यात्री, जो ट्रेन में सफर करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट रेलवे पुलिस का विभाग बनाया। यह अपने आप में ठीक है। यह प्रयास करते है, लेकिन दुर्भाग्य यह है, जैसे पिछले दिनों इस सदन में एक चर्चा चल पड़ी थी और अगले हफ्ते फिर उसमें चर्चा चलेगी, क्रिमिनलाइजेशन आफ पोलिटिक्स, राजनीति का अपराधीकरण, हम लोगों ने देखा है और मैं तो दर्जनों लोगों के नाम भी बता सकती हूं, लेकिन शायद इस सदन में कहना उचित नहीं होगा। ... (**व्यवधान**)....

श्री हेच० हनुमनतप्पा (कर्नाटक): अभी प्रोटैक्शन फोर्स में लगाने का निवेदन किया, उधर भी क्रिमिनलाइजेशन हो जाएगा। जिसके खिलाफ आप बोल रही है, उसी को लगाने के लिए आप सपोर्ट कर रही है।

श्रीमती कमला सिन्हा: आप मेरी बातों को सुनिए, समझिए। उसके बाद फिर कामेण्ट करिए।

श्री हेच० हनुमनतप्पा: लैंगुवेज की प्रोब्लम है। सुनता हूं, लेकिन समझने के लिए ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती कमला सिन्हा: आप तो बहुत अच्छी हिन्दी बोल रहे है।

मैडम, यह जो वैगन ब्रेकिंग का काम है, जिसका मैंने जिक्र किया था, उसके जरिए धन कमाना आसान है। बहुत सारे लोग वैगन ब्रेकिंग का काम करके नव-धनाढ्य व्यक्ति हो गए है, धनी हो गए है। वह गलत तरीके से धनी हुए, इसलिए कोई न कोई प्रोटेक्शन तो कहीं न कहीं से उन्हें चाहिए। यह प्रोटेक्शन कहां से मिलेगी? वहीं से, जहां पावर है, जहां सत्ता है, वहीं तो प्रोटेक्शन होती है। तो सत्ता के साथ जुड़ जाओ और मौका मिल जाए तो विधायक बन जाओ, एम०पी० बन जाओ और लोग बनते है। ब्यूरोक्रेसी को डराओ, धमकाओ ताकि वह कुछ बोले नहीं। यह धंधा चालू है।

मैडम, गौतम जी ने कहा कि कोयला उतार लेते हैं और नीचे चुन लेते है। कोयला दो चार टुकड़े थोड़े ही उतरता है, डिब्बे के डिब्बे साफ हो जाते हैं। सार्वजनिक जीवन और खासतौर से श्रमिक आंदोलन के साथ जुड़े होने के कारण मैं देखती रहती हूं कि किस ढंग से क्या होता है। कुछ दिन पहले पूरा डिब्बा, भरा हुआ डिब्बा, लोडिंग किया हुआ, सारा डिब्बा ही उलट गया और उसके बाद वहां से लूट हो गई। लूटने वाले कौन है, उलटने वाले कौन है, देखने वाले कौन है? यह तो सब सरकार को मालूम है, लेकिन सरकार जानबूझकर चुप रहती है। पता नहीं क्या मजबूरी है? हमें नहीं मालूम, क्या मजबूरी है? क्या कोई साझेदारी का मामला है? या केवल यह एक दुर्घटना है? मेरा यह मानना है कि यह दुर्घटना नहीं है क्योंकि दुर्घटना एक दो हो सकती हैं, लेकिन यह मामले खनिज अंचल में अधिकतर होते हैं। हमेशा क्यों होता है यह? दुर्घटना तो एक-दो साल में, कभी-कभार हो जाए, लेकिन यह तो अक्सर होता है। महोदया, रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा जिसको करनी है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को, वह एक ऐसी फोर्स है जिसके पास हाथ में बंदूक तो है लेकिन उस बंदूक को चलाने का अधिकार नहीं है। अपनी फोर्स का इस्तेमाल करने का अधिकार भी नहीं है। तो फिर एक यह विषहीन सांप आपने क्यों रख लिया, जिसके पास विष ही नहीं है, जो अपनी ताकत इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। उससे न तो अपनी संपत्ति की रक्षा होती है, न आपकी ही कुछ सुरक्षा होती है और नतीजा यह है कि रेलवे में चोरियां बढ़ती जा रही है, दिनों-दिन चोरियां बढ़ती जा रही है। पैसेंजर ट्रेनों में तो चोरियां आम बात हो गई है, लूट लेना आम बात हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि सामाजिक नाबराबरी, अमीरी-गरीबी का जो फर्क है, वह भी उसका एक कारण है। तो उसको सरकार चाहे तो विल पावर से दूर कर सकती है, लेकिन अभी तक तो वह विल पावर दिखी नहीं है और संरक्षण हम देते आते है गलत लोगों को और उसके कारण भी सरकार की कठिनाई बढ़ती है, हमारी कठिनाई बढ़ती है।

अब अगर इस विधेयक के बारे में मैं बात करूं तो यह एक ऐसा विधेयक है, जो हमारी बहन चन्द्रकला पाण्डेय लाई है, जिसके द्वारा सरकार ने अपने जिस किए

[श्रीमती कमला सिन्हा]

हुए काम को वापिस ले लिया था, उसको फिर से लौटाने की बात है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आपने बनाया था 1957 में इस देश की रेलवे सम्पत्ति की सुरक्षा देने के लिए और सुरक्षा क्या दी वह तो आप खुद जानते है। कितनी रेलवे की संपत्ति बेदखल हो गई, दूसरे लोगों ने मकान बना लिए/हड़प लिए, जमीन हड़पी — प्राइम लैंड, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। या तो आपका उसमें कुछ कनाइवेंस होगा। आपका माने मंत्री जी का नहीं, मंत्री जी के जो आफिशियल डम है, उनका, जो ब्यूरोक्रेसी है, उनका। जो भी है उनकी जरूर कुछ न कुछ साझेदारी होती है बिना किसी ऊपर के संरक्षण के ऐसा काम हो नहीं सकता, यह मेरी निजी मान्यता है। तो इस देश की संपत्ति लूटी जा रही है और कुछ लोग मालदार बनते जा रहे है। अब आपने उसके लिए प्रोटेक्शन फोर्स बना दी 1957 में, उसको आपने 1985 में अमेंड भी किया। चोरियां क्यों बढ़ती जा रही है, सिक्यूरिटी कैसे दी जाए, किस ढंग से पोलिसिंग हो, इसके बारे में विचार करने के लिए सरकार ने कई बार कमेटियां बनाई। अब कमेटियों की रिकमेंडेशन्स क्या है वे भी हम लोगों के सामने आनी चाहिए थी लेकिन वह हमेशा दी नहीं जाती, लेकिन कमेटियों ने तरीके सुझाए कि किस ढंग से रेलवे की संपत्ति को प्रोटेक्शन दिया जाए, किस ढंग से जान-माल की सुरक्षा हो, रेलगाड़ियों में सफर करने वाले लोगों की सुरक्षा हो, इसके बारे में बार-बार तरीके सुझाए गए है। अब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को लीगल कोई पावर नहीं है, इन्वेस्टीगेट भी नहीं कर सकती। मान लीजिए रेलवे स्टेशन पर कोई घटना घट जाए, अब जैसे मेरे साथ हुआ था, मैंने कहा था आपको, चोरी हो गई, गाड़ी रूकी, टी०टी० आया, मैंने उसको कम्पलेंट का कागज दिया और कहा कि इसमें ही लिख दीजिए आप, लेकिन कुछ पता नहीं, कुछ भी नहीं हुआ । कोई डिब्बा लूटा जाए और भले ही जी०आर०पी० वाले आएं और वे लिख-लिखाकर ले जाएंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। उनकी तो कभी-कभी शक्ल ही नहीं दिखती है कि वे कहां पर है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है आपका, अब रेलवे की प्रोटेक्शन भी वे करेंगे और आप उन्हें चुनाव की ड्यूटी में भी भेज देंगे, अब वह आपकी संपत्ति की सुरक्षा क्या करेंगे। वे तो वोट डलवाने के लिए अपनी बंदूक लेकर खडे हो गए? तो यह ठीक ढंग नहीं है। आपने जिसको जिम्मेदारी दी है उसको सही ढंग से जिम्मेदारी दीजिए। Make it a proper protection force. Don't make a mockery of the protection force. You have made a mockery of the Force. It is no Force at all. क्योंकि वह भीतर से इतना डिमोरलाइज है कि वह कुछ कर ही नहीं सकता है। उस बेचारे का ढीला-ढाला पतलून, शर्ट देखने से लगता है कि वह फोर्स वाला हो ही नहीं सकता। जब आप उनका एनरौलमेंट करते है तो फोर्स के लायक लोगों को एनरोल कीजिए। इस देश में बहुतेरे लोग ऐसे है जो चुस्त-दुरस्त है, जो रिएली फोर्स के लिए काम कर सकते है। उसका चेहरा व तंदरूस्ती देखते में ऐसी लगे कि वह फोर्स का आदमी है। लेकिन ऐसे ही ढीले-ढाले लोगों को आप ले लेते है, उनका काम भी ढीला ही होता है। पता नहीं, आप लोग कैसे ऐसे लोगों को भर्ती कर लेते है। उनको आपने कोई अधिकार भी नहीं दे रखा है। वह कहां जाएगा, किसको कहेगा, कैसे क्राईम कंट्रोल करेगा, कैसे आपकी संपत्ति की सुरक्षा करेगा? इन सबके बारे में उसके कोई अधिकार नहीं दिया गया है। जी०आर०पी० को तो खाली लॉ एंड आर्डर मेन्टेन करना है और ट्रेन में चलने वालों की सुरक्षा करनी है। वह कैसी सुरक्षा करता है वह भी आप जानते है। जी०आर०पी० के दो आदमी अगर बंदूक लेकर खड़े है और अगर 10 आदमी आ जाएं और उसी की बंदूक छीनकर ले गए तो उनकी छूट्टी हो गई। कभी-कभी बंदूक रखकर सो भी जाता है रात को। कई बार हमने देखा है कि बाहर वह बैठा है सो रहा है और कभी खड़ा है। अगर दस आदमी आकर उसकी बंदूक ले जाएं, इस प्रकार वह अपनी बंदूक की ही सुरक्षा नहीं कर सकता है तो पैसेंजर्स की क्या सुरक्षा करेगा। यह तो हाल बना रखा है आप लोगों ने।

Whether it is GRP or RPF, it is absolutely a national kind of Force.

ले नेशनल नहीं बनाकर एक्सयुअल प्रोटेक्शन फोर्स बनाइए अगर बनाना है तो। इस प्रोटेक्शन फोर्स में काफी लोगों को बहाल किया गया है। अब पुलिस वालों को आपने एसोसिएशन बनाने की इजाजत दी है, वह अपनी संस्था बना सकते है। पुलिस भी तो फोर्स है, पुलिस वाले भी बंदूक डाले होते है। जब पुलिस फोर्स के पास आर्म्स है और वह अपना संगठन बना सकता है, अपनी बात को कह सकता है तो फिर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को संगठन बनाने का अधिकार नहीं देना, मुझे लगता है कि उचित नहीं है। उनका एसोसिएशन बने, यह ठीक है। जैसे दूसरे सर्विस एसोसिएशन बने होते है, जो अपनी सर्विस के तहत ही

रहते है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलोइज के है, दूसरे सैक्टर के है। उनका एसोसिएशन बनता है, वह एसोसिएशन अपने तहत सीमित रहा है। उसके संगठन के साथ कोई जुड़ा हुआ नहीं है। They are self-sufficient.

वह अपनी बात तय करते है। जैसे हवाई जहां चलाने वालों का है, दूसरे-दूसरे सैक्टर में है। इन लोगों का जो एसोसिएशन बना हुआ था उसके बाद में कानून के संशोधन के जरिए हटा देना, मुझे लगता है कि यह अनुचित हुआ है। अब जैसे माननीय सदस्य ने इस विधेयक में कहा है:

"The RPF men are civil servants/ Railway employees for all purposes as per section 9 and 10 of the Railway Protection Force Act and within the meaning of Article 311 of the Constitution of India. So, they can only be governed by a set of discipline and appeal rules applicable to other civil servants. Since the RPF men are neither charged with the responsibility of maintenance of public order nor with security of the borders of the country, they cannot be equated with the members of Army, BSF CRPF, ITBP, etc., which are under the control of Ministry of Defence and Ministry of Home Affairs."

अब आर०पी०एफ० तो रेलवे का हिस्सा है। तो मैं रेल मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगी कि स्वयं रेलवे प्रोटक्शन फोर्स का जो विधेयक है, उसके ले आएं और उसमें संशोधन करके इस विधेयक में जिन बातों की ओर इशारा किया गया है, जिन संशोधनों की मांग की गई है, उन संशोधनों को सम्मिलित करलें।

4 P.M.

अगर नहीं कर सकते है तो यह आज का जो विधेयक है, उसको सरकार मान ले, यह मेरा सरकार से निवेदन है। मंत्री जाफर शरीफ साहब बहुत सहृदय व्यक्ति है। शरीफ भी है, बातों को समझते हैं, रेलवे मेन के प्रति उनको दर्द भी है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जो कठिनाई है, उसको समझते भी है। जी०आर०पी० की जो कठिनाई है, उसको भी समझते हैं और जो कुछ घटनाएं घटती है, जहां कहीं भी चोरी हो, बेईमानी हो, वह क्यों होती है, उसकी भी जानकारी उनको है लेकिन शायद जिस सिस्टम के तहत वे बंधे हुए हैं, उसकी लाचारी के कारण वे कुछ कर नहीं पाते है। उनकी मजबूरी है और उनकी बजबूरी और हर तरह की मजबूरी का इजहार अखबारों से हम लोगों को मालूम पड़ता है हर रोज। हर रोज देखने को मिलता है, हम उनके साथ सहानुभूति रखते है। ....(व्यवधान).... तो मंत्री जी की मजबूरी का अहसास हम लोगों को है और उस अहसास के साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगी कि रेलवे प्रोटेकशन फोर्स और रेलवे प्रापर्टी की सुरक्षा आप कर पाएंगे जब आप उनको ये अधिकार देंगे, वे आपकी सम्पत्ति का रख-रखाव ज्यादा अच्छी तरह से कर पाएंगे और फिर आपका और देश का कल्याण भी होगा। मैं नहीं चाहती थी कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने जिन बातों को कहा है, मैं उनको दोहराऊं नहीं तो यह बात सही है कि रेलवे की जो सम्पत्ति है, उसके समुचित रख-रखाव की अगर आपको चिंता होती तो आप संसद के विभिन्न सदस्यों से इसके बारे में चर्चा कर सकते थे, बात कर सकते थे और अलग-अलग प्रांतों में कमेटियां बनवा कर आप बात कर सकते थे। ऐसी कमेटियां तो अभी भी है लेकिन वे नाम के लिए लिए हैं, उनको कोई खास उपयोग नहीं है। अफसरान महीने, दो महीने, छह महीने में जब इच्छा होती है तो कभी मीटिंग बुला लेते हैं। मुझे तो ईस्टर्न रेलवे की मीटिंग का निमंत्रण-पत्र मिला मीटिंग होने के बाद और मैंने आपत्ति भी की कि मीटिंग होने के बाद निमंत्रण-पत्र भेजने की कोई तुक नहीं बनती। अगर बुलाना ही है तो समय रहते बुलाइए। इस तरह से लोग मीटिंग बुला लेते हैं, काम करते हैं मनमाने ढंग से तो आपको इसके चुस्त-दुरुस्त करना चाहिए लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास अभी समय नहीं है। अगले साल के शुरुआत में चुनाव होने वाला है, उसके बाद आप कहां रहेंगे कौन जाने। शायद आप उस तरफ रहें ही नहीं, शायद आप इधर ही आ जाएं और शायद फिर उधर चले जाएं। यह हमारे लिए तो खुशी की बात होगी।

श्री सी० के० जाफर शरीफ: अगर आप उधर से इधर आएं तो ठीक है वरना हमको ही रखिए यहां पर, दूसरों को मत लाइए यहां पर।

श्रीमती कमला सिन्हा: आप भी हमारे साथ रहेंगे उस तरफ तो हमें बहुत खुशी होगी लेकिन अभी आपके पास चार महीने, पांच महीने का समय है और अगर आप काम करना चाहे तो काम कर सकते है। मैं तो आपको यह कहूंगी कि इसी सत्र में

[श्रीमती कमला सिन्हा]

आप अपने तौर पर एक संशोधन विधेयक ले आएं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के संबंध में, एक समुचित संशोधन विधेयक जिसमें रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लोगों को उनके अपने अधिकार दे दीजिए, इसको चुस्त-दुरुस्त भी कीजिए, अपनी संपत्ति की रक्षा कीजिए ताकि आगे आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की जनता आपको आशीर्वाद दे, धन्यवाद।

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, रेलवे संरक्षण बिल (संशोधन) विधेयक 1994 का मैं समर्थन करता हूं। इस विधेयक के जरिए श्रीमती चन्द्रकला पांडेय ने रेल मंत्री जी का और सरकार का ध्यान आकर्षित किया है इस ऐक्ट में, इस कानून में कुछ संशोधन करने के लिए जिन संशोधनों को श्रीमती चन्द्रकला पांडेय ने प्रस्तुत किया है, वे संशोधन आवश्यक है। इस कानून में संशोधन होना चाहिए, इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है। लेकिन रेल मंत्री जी से मैं यह कहना चाहूंगा कि 1957 में यह कानून बना था और एक बार इसमें 1985 में संशोधन किया गया था और वह संशोधन करके रेलवे सम्पत्ति की सुरक्षा की व्यवस्था ठीक से हो, चोरियां न हों, अपराध न हों और निश्चिंत और निर्भीक होकर लोग रेल यात्रा कर सकें, इसका कोई संशोधन नहीं किया गया बल्कि जो आर०पी०एफ० के लोग हैं, उनकी यूनियन बनाने के अधिकार की कटौती की गयी। कोई भी संशोधन जब पेश किया जाता है तो वह किसी अच्छे काम के लिए किया जाता है। मैं नहीं समझता कि आर०पी०एफ० के लोगों की जो 14 साल पुरानी यूनियन थी, या यूनियन बनाने का जो उनका अधिकार था, उसमें कटौती करने या उस अधिकार को समाप्त करने का संशोधन कोई अच्छा संशोधन था। इसलिए मैं रेल मंत्री जी से चाहूंगा, सभी माननीय सदस्यों ने कहा है, मैं भी कहा रहा हूं कि इस पर गंभीरता से विचार करें।

महोदया, रेल यात्रा अब सुरक्षित नहीं है। मैं इसके लिए रेल मंत्री जी को जिम्मेदार नहीं मानता हूं। वह प्रयास कर रहे है लेकिन रेल यात्रा अब सुरक्षित नहीं रह गयी है। दुर्घटनाएं होती है, स्टेशन पर चोरियां होती है। अभी पिछले महीने एक हमारे जिले के भूतपूर्व संसद सदस्य हैं वह जा रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे। नयी दिल्ली स्टेशन पर अभी ट्रेन लगी नहीं थी, उखनऊ मेल। उन्होंने अटैची नीचे रख दी और ट्रेन जब लगी, सब लोगों ने अपनी अटैची उठायी तो उनकी अटैची नहीं थी। यह सब रेलवे प्लेटफार्म पर ही हुआ। तो प्लेटफार्म पर चोरियां हो रही है। रेल के अंदर हो रही है, यात्रियों के सो जाने के बाद। संघ प्रिय गौतम जी बिहार का उदाहरण दे रहे थे। मेरी व्यक्तिगत जानकारी है।

श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश): उनका कार्यक्षेत्र बिहार है, रेलवे में कार्यक्षेत्र बंटा रहता है।

श्री ईश दत्त यादव: बैशाली एक ट्रेन यहां से मुजफ्फरपुर तक जाती है। मैं कुछ महीने पहले उस ट्रेन में सफर कर रहा था। गोंडा एक स्टेशन पड़ता है। करीब 4 बजे भोर में वह ट्रेन वहां पहुंचती है और बस्ती तक जाते-जाते सुबह होती है। बस्ती में लोगों ने देखा कि बहुत से लोगों का सामान गायब हो गया। लोगों ने बतलाया कि गोंडा में तो प्रायः चोरी होती है। चार बजे भौर में जब ट्रेन आती है तो कुछ लोग उतरते हैं, कुछ चढ़ते हैं, उसमें दस-पांच मिनट के अंदर कुछ लोग चढ़कर लोगों की अटैची, ब्रीफकेस और सामान गायब कर देते है। वैगनों में जो माल आता है, उसमें चोरियां हो रही है—चाहे चीनी हो, अनाज हो, कोई चीज़ हो, कोई पदार्थ-उसकी चोरियां होती है और जो कुछ मैं कहा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि रेल मंत्री जी को जानकारी नहीं है। यह सब कुछ उनकी जानकारी में है और चाहते भी होंगे कि अपराध रुकें, चोरियां रुके। संभव है, उनकी कोई विवशता हो जिसके कारण वह यह सब रोक न पाते हों और इन्हीं सब अपराधों और चोरियों को रोकने के लिए 1957 में यह कानून बना लेकिन यह कानून जानदार नहीं है। बस यह कानून नाम के लिए कानून है, ऐसा मैं समझता हूं और इसके लिए जिन लोगों को सेवा में रखा गया, सर्विस में रखा गया, उन लोगों की बड़ी दयनीय स्थिति है। रेलवे विभाग में अर०पी०एफ० के लोग और राज्यों में होम गार्ड रखे गये हैं, जिसका संबंध रेल मंत्री जी से नहीं है, प्रसंगवश कह रहा हूं। न उन बेचारों का कोई हाल है और न आर०पी०एफ० के रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स के लोगों का कोई सम्मान है या अधिकार है। दोहरी व्यवस्था है सुरक्षा की। दोहरी सुरक्षा व्यवस्था है इस पर भी रेल मंत्री जी को गंभीरता से विचार करना होगा। इसके एक रेलवे पुलिस है इसमें कौन लोग जाते हैं? जो जिले में रहते हैं, सिविल पुलिस में रहते हैं जब उनको सजा होती है, उनका बड़ा अफसर उनसे नाराज हो जाता है तो उनको रेलवे में ट्रांसफर कर दिया जाता है और सिविल पुलिस में जो उनको सुविधाएं मिलती हैं, सरकारी सुविधाएं मिलती है और इसके अलावा गैर सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं, उपभोग करते हैं, रेलवे में जाने के बाद वे सुविधाएं उनको नहीं मिलती इसलिए वे अपराध करने लगते हैं। मैं अपनी व्यक्तिगत

जानकारी के आधार पर कह रहा हूं। एक फोर्स रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है। इन दोनों में विवाद होता है। मैं नहीं कहता कि जो रेलवे सुरक्षा बल है इसके लोग ईमानदार है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इनकी साजिश से भी अपराध होते है। कहीं-कहीं ऐसा होता है कि हर स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल के लोग भी होते हैं और रेलवे पुलिस के लोग भी होते हैं। इनमें द्वंद होता है, विवाद होता है, झगड़ा होता है और एक दूसरे को बदनाम करने के लिए ये स्वयं अपराध कराते हैं, चोरियां कराते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। इनकी ड्यूटी है कि अपराध न हो, चोरी न हो, जो यात्रा कर रहे हैं वे सकुशल अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएं लेकिन ऐसा नहीं होता। दोनों रेल मंत्री चले गये। गृह मंत्री और कृषि मंत्री बैठे हैं, इन्हीं लोगों से कहूंगा कि इस पर गम्भीरता से विचार करिये और हमारी भावनाओं को रेल मंत्रालय और रेल मंत्री जी तक पहुंचा दें आप ही लोग।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): यह बहुत ज्यादती है कि दो मिनट के लिए बाहर गये है, अभी आ जायेंगे और आपने यह सब कह दिया।

श्रीमती वीणा वर्मा (मध्य प्रदेश): माननीय सदस्य का भाषण रिकार्ड हो रहा है। मंत्री जी इस पर जरूर ध्यान देंगे।

श्री ईश दत्त यादव: विनम्रता से अनुरोध कर रहा हूं आपके आदेश को शिरोधार्य कर रहा हूं। लेकिन जो मैं कह रहा था इसको जब वह सुन ही नहीं रहे हैं तो क्या कीजियेगा। मैं बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दे रहा था शायद उनके मन में बैठ जाता।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम): चलिए मैं नोट कर लेता हूं।

श्री ईश दत्त यादव: मैं कह रहा था इसमें सुधार करने की जरूरत है। मेरी राय में दो फोर्स रखने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो आर०पी०एफ० है और दूसरे पुलिस के लोग रहते हैं। यह दोहरी व्यवस्था मेरी राय में ठीक नहीं। व्यवस्था एक होनी चाहिए। मेरी राय में रेलवे पुलिस की कोई जरूरत नहीं है। इन दोनों में द्वंद कई जगह पर हुआ है और इन्होंने अपराध भी कराये हैं। दूसरे ये बेचारे दोहरे नागरिक होते हैं, जो आर०पी०एफ० के लोग होते हैं, डंडा लेकर घूमते है, पैसेंजर को मार दिया, कहीं कुछ कर दिया लेकिन कहीं अपराध हो गया तो इनको विवेचना करने का, इनको इन्वेस्टीगेशन करने का कोई अधिकार नहीं होता। अधिकार तो रेलवे पुलिस के लोगों को होता है, जो वहां स्टेशन पर एस०एच०ओ० पोस्टिड है उसको अधिकार होता है। अगर यह सही आदमी को भी पकड़ कर ले जायेंगे, अपराधी को पकड़ कर ले जायेंगे तो वे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। सही तरीके से इन्वेस्टीगेशन नहीं करते, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। इसलिए मैं बहुत जोर देकर इस बात को कह रहा हूं कि एक व्यवस्था होनी चाहिए, दोहरी व्यवस्था को चलाना नुकसान का काम है। मैं रेल मंत्री जी से अनुरोध कर रहा था कि व्यवस्था एक रखिए। आपके यहां रेलवे सुरक्षा बल है उसको रखिए लेकिन उसको अधिकार सम्पन्न करिए, उसको पावर दीजिए और उनकी दयनीय स्थिति पर ध्यान दीजिए। सचमुच में जो आर०पी०एफ० के लोग हैं ये बेचारे दया के पात्र लगते हैं। जो स्टेशनों पर घूमते हैं, मैं समझता हूं कि पुलिस के मुकाबले उनको वर्दी के लिए पैसे कम दिए जाते होंगे। आर०पी०एफ० के लोग फटे हाल रहते हैं। पुलिस से लोग डरते हैं। जो अपराधी होते हैं वे पुलिस से बहुत डरते हैं लेकिन आर०पी०एफ० के लोगों से कोई डरने वाला नहीं लगता। इसलिए मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं। व्यवस्था एक रखिए। आर०पी०एफ० को रखिए लेकिन पूरे अधिकार उन्हें दीजिए। उन्हें अपराधों की रोकथाम का अधिकार दीजिए, उनको सशक्त बनाइए, उन्हें इन्वेस्टीगेशन पावर दीजिए और उनकी जो तमाम असुविधाएं है उनको दूर करिए। पुलिस बल को जो सुविधाएं प्राप्त हैं वे सुविधाएं उनको दीजिए और उनको शस्त्रों से सुसज्जित करें, उनके अधिकार बढ़ाये और एक ही व्यवस्था रखें, यह मेरा आपसे निवेदन है। मैडम, पुलिस के लोग सजा पाकर रेलवे में आते हैं और पूरी ताकत लगाते है कि यहां से हमारा ट्रांसफर हो जाए। वह यहां आते है जाने के लिए। इसलिए कि यहां उनके लिए कोई चरागाह नहीं रह जाती है। मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं। माननीय रेल मंत्री जी आशा है आप इन पर गंभीरता से विचार करेंगे। गंगा-यमुना ट्रेन जाती जो है, वह बनारस होते हुए आगे जाती है और हमारी तरफ जाने के लिए ट्रेन है पुरानी दिल्ली से। इस ट्रेन से बहुत से लोग उत्तर प्रदेश के लखनऊ, फैजाबाद, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, जौनपुर के लिए जाते हैं। इन जिलों के बहुत से लोग विदेशों में रहते हैं। वे बेचारे दो साल, चार साल, पांच साल रहने के बाद, कठोर परिश्रम करने के बाद जब लौटते हैं तो उनको अपने घर जाने के लिए यही ट्रेन है। जब इस ट्रेन में वह आदमी आता है तो उसको परेशान किया जाता है। मेरे सामने की एक घटना है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले का टांडा एक कस्बा है। वहां से दो-तीन आदमी आ रहे थे। पुलिस के लोगों ने रेल के अन्दर

[श्री ईश दत्त यादव]

जाकर उनके साथ अभद्रता का व्यवहार किया और वे उससे पैसा मांग रहे थे। उसमें मैंने भी हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उस कोच के सारे मुसाफिर खड़े हो गए तो उन्होंने मान लिया कि पैसा नहीं लेंगे। लेकिन वे सिपाही जाते समय कह रहे थे कि अगर पैसे नहीं दिए तो दो पैकिट सिगरेट ही दे देते।

दूसरी घटना मैं बता रहा हूं। हमारे एक मित्र है। दिल्ली के हैं और राज्यसभा के माननीय सदस्य हैं मोहम्मद मसूद खान। हम और वे दोनो आदमी पुरानी दिल्ली स्टेशन पर उतरे तो कुली उनको थैला लेकर जा रहा था। वहां पर पुलिस का आदमी आया और कहा कि रुको, इस थैले की जांच की जाएगी। हमने उसको बताया कि हम एम०पी० लोग हैं। इस पर उसने कहा कि सर माफ करिए। हमने कहा कि अगर हम एम०पी० नहीं रहते तो क्या करते। पुलिस के लोग इस तरह से दुर्व्यवहार करते हैं। इस पर माननीय रेल मंत्री जी गम्भीरता से विचार करेंगे ताकि जिनके जिम्मे आपने सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है, ठीक है सुरक्षा के नाम पर जांच करें, कड़ाई करें, अपराधों को रोकें और अपराधियों को कड़ा दंड देने की व्यवस्था करें, यह ठीक है, हमारा समर्थन है लेकिन मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, अनुभव है, इसके आधार पर मैं फिर दोहरा रहा हूं कि पुलिस के लोगों का यह विभाग गवर्नमेंट रेलवे पुलिस विभाग खत्म करिये और जो आपको आर०पी०एफ० है, इसको आप सुसज्जित कीजिये, सम्मान दीजिये, अधिकार दीजिये और इस फोर्स की संख्या भी बढ़ाइये। कुछ ट्रेनों में दो सिपाही चलते हैं, कहीं चार भी चलते होंगे और कुछ ट्रेनें वैसे चलती है जिसमें कभी कोई सिपाही चलता ही नहीं है, कोई सुरक्षा बल का आर०पी०एफ० का चलता ही नहीं है। मैं अनुरोध करुंगा माननीय रेल मंत्री जी से कि जितनी रात को ट्रेनें चलती है सब में आप इस तरह की व्यवस्था करें कि चार छः सुरक्षा-कर्मी जरूर चलें वरन् अपराध होते है। यह तो आप को व्यक्तिगत जानकारी होगी, आप इतना बड़ा विभाग चला रहे हैं। आप इसमें अपराधों की रोकथाम के लिए व्यवस्था करें।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। श्रीमती चन्द्रकला पांडेय जी ने जो संशोधन पेश किया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय रेल मंत्री जी को मान लेना चाहिये। अगर इस संशोधन को मान कर आज ही स्वीकार कर लेते है तो इनकी बड़ी मेहरबानी होगी वरन् दूसरा विकल्प यह है कि और संशोधनों सहित इस संशोधन को स्वीकृत करते हुए माननीय रेल मंत्री जी एक परिपूर्ण विधेयक पेश करें। आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, रेल संरक्षण बल कानून में बहुत परिवर्तन करने की जरुरत है। रेलवे के लोगों की जो मांग है, आर०पी०एफ० के लोगों की जो मांग है कि हम को यूनियन बनाने का अधिकार दिया जाए, इसकी तत्काल इन्हें घोषणा कर देनी चाहिये, स्वीकार कर लेना चाहिये। 14 साल तक इनकी यूनियन चली है। जब सभी संगठन और यूनियन बनाने का अधिकार है, सभी कर्मचारियों को अपनी एसोसियेशन बनाने का अधिकार है तो आर०पी०एफ० के लोग बेचारे क्यों इस अधिकार से वंचित किये जाते है? यूनियन बहुत आवश्यक है क्योंकि व्यक्तिगत रूप से कभी-कभी आदमी अपनी व्यथा को नहीं कह सकता, अपनी समस्याओं को नहीं कह सकता। किसी के साथ आपके विभाग ने यदि ज्यादती कर दी तो अकेला वह अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता लेकिन जब संघ रहेगा तो वह संघ की मारफत अपनी यूनियन के जरिये अपनी मांगों को आपके सामने रख सकेंगे जैसे दूसरे विभागों के लोग रखते हैं। अगर उनकी मांग सही होगी तो आप मान लेंगे, आपके सामर्थ में होगी, आप पर वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा तो आप स्वीकार कर लेंगे। लेकिन यह उनका संवैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है इसलिए आप आर०पी०एफ० को अपने इस राइट से वंचित न करें। यह लड़ाई लम्बी लड़ाई है। जब कुछ वर्ष पहले स्वर्गीय राजीव गांधी की संभवतः सरकार थी तो उस समय से यह लड़ाई चल रही है और लोक सभा में रेल मंत्री ने यह घोषणा भी की थी कि यूनियन को मान्यता दी जाएगी। उस समय उनकी यूनियन को मान्यता दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग ही धरने पर बैठे थे, जिसमें संभवतः कुमारमंगलम जी भी थे। मैं नहीं जानता कि वे आप वाली कांग्रेस में है या दूसरी कांग्रेस में हैं लेकिन कांग्रेस में है और उस समय भी कांग्रेस में थे। तो कांग्रेस के लोगों ने संसद सदस्यों ने मांग की, धरना दिया था। रेलवे मंत्री जी ने घोषणा की थी कि आर०पी०एफ० लोगों की जो यूनियन है इसको हम मान्यता देंगे। लेकिन कानून में संशोधन नहीं किया गया। इसलिए मैडम, श्रीमती चन्द्रकला पांडेय जी ने जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है मैं इसका जोरदार ठंग से समर्थन करता हूं और माननीय रेलवे मंत्री जी से मांग करता हूं कि रेलवे संरक्षण बल का जो पुराना कानून है, जो अनुपयोगी हो गया है, शक्तिहीन है इसका पूरा संशोधन कराएं और रेलवे सुरक्षा बल को पूरा पूरा अधिकार दें शक्ति दें ताकि रेलवे में होने वाले जो अपराध है उनकी रोकथाम की जा सके।

इस विषय के अलावा मैडम, केवल आधा मिनट

लेकर मैं रेल मंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि जो हम लोगों की बहुत पुरानी मांग थी मऊ से शाहगंज रेलवे लाइन के आमान परिवर्तन की उस प्रार्थना को इन्होंने सुना और उस पर काम भी शुरू हो गया है ....**(व्यवधान)** लेकिन आपने पैसा भी थोड़ा दिया है। काम धीमी गति से चल रहा है। इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूं कि वह काम भी तेजी से करा दीजिए पैसे भी ज्यादा कर दीजिए ताकि वह काम एक साल के अंदर पूरा हो जाए। एक सौ किलोमीटर का मामला है। इससे कई जिलों के कई हजार लोगों के आने जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। हम तो मैडम कभी कभी 24 घंटे में अपने यहां पहुंचते है। अगर बड़ी लाइन बन जाएगी तो 14-15 घंटे में पहुंचने लगेंगे। पूरे चार-छ जिलों की जनता को लाभ होगा। इसलिए मैं रेल मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि चन्द्रकला पांडेय जी को भी धन्यवाद देता हूं कि इस विधेयक के द्वारा उन्होंने रेल मंत्री जी का ध्यान उस ओर आकर्षित किया। आपका भी आभारी हूं कि आपने बहुत समय दिया बोलने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जनेश्वर मिश्र: उपसभाध्यक्ष महोदया, कायदे से मुझे इस विषय पर नहीं बोलना चाहिए। मैं अपनी सीमाओं को जानता हूं। जाफर शरीफ साहब से हमारी मित्रता है। मैं इनको संकट में नहीं डालना चाहता हूं। हमारे पास आर०पी०एफ० के लोग कई बार आए और हमने उनको यह कहकर मना किया कि हम इस विषय में रहे हैं, हमें सीधे सीधे क्यों फंसा रहे हो। लेकिन कल जब चन्द्रकला पांडेय जी ने कहा कि तुम्हारी मदद की जरुरत है तो हमको भी लगने लगा कि हम अपने साथ शायद अन्याय कर रहे है क्योंकि हमको याद है थोड़े दिनों के लिए यह मंत्रालय हमारे पास था-दो चार महीनों के लिए। बगल वाले सज्जन ने और सभी पार्टियों के मेम्बर लोग दबाव डाल रहे थे। कांग्रेस के लोग भी उसमें थे। अब भी कांग्रेस के लोग हैं। एक दिन तो आकर कुएं में बैठ गए। रबी राय जी स्पीकर थे। उन्होंने टेलीफोन किया रेल मंत्रालय। हम दौड़े दौड़े आए। हमने चिट्ठी लिख दी थी कुमार मंगलम के नाम कि कुएं में मत बैठो, तुम्हारी जो मांग है कि आर०पी०एफ० के लोगों का एसोसिएशन का अधिकार छिन गया है उसको बहाल कर दिया जाएगा और उसको बहाल करने का आदेश सरकार दे रही है। थोड़ा बहुत फारमैलिटीज पर ध्यान रह गया था। हम समझते थे कि उस चिटठी के बाद कुएं में आने की जरुरत नहीं थी और धरना देने की भी लेकिन उन लोगों ने धरना दे दिया।

हम नहीं आना चाहते थे इसलिए कि इस विभाग में थी। आफर शरीफ साहब थोड़ा संकट में पड़ेंगे। आना इसलिए पड़ा कि लगता था कि नहीं आएंगे तो अपने ऊपर अन्याय करेंगे। हमने जो लिखा वह व्यक्तिगत हैसियत से नहीं लिखा था। एक कुर्सी पर बैठकर लिखा था। उसके अपने एक मायने हुआ करते हैं। आज जाफर शरीफ साहब जो आदेश करेंगे वह अपनी निजी हैसियत में नहीं करेंगे। एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उनको सत्ता मिली है। जब कभी भी अपने से कमजोर आदमी कोई मांग करने लगे तो उस पर बहुत सहानुभूति से विचार करना चाहिए। एक बार बहुत से पार्लियामेंट के मेम्बर लोग, आर०पी०एफ० के भी कई पदाधिकारी, उनकी एसोसिएशन के पुराने वाले आए, हमने उनके सबसे बड़े अफसर को बुलाया। बुलाकर कहा कि इन सबसे बात करो। यह मत मानकर चलना कि ये बहुत छोटे-छोटे लोग हैं। यह समय का खेल है कि आज हम इस तरफ बैठे हैं और ये सब इस तरफ बैठे हैं। कल को ये सब हमारी तरफ आ जायेंगे और हम इनकी तरफ चले जायेंगे। यह कोई मुस्तकिल समय तो होता नहीं। तो उस अधिकारी को यह बात बड़ी अटपटी लगी थी। लेकिन मैंने इसलिए नहीं कहा था कि उसके मन को, उसके भाव को छोटा कर रहा हूं। मेरी यह सोच है और लड़कपन से सोच है कि जो कोई, जहां कहीं, जिस कुर्सी पर बैठा रहेगा उसके मातहत लोगों को अगर ज्यादा अधिकार होंगे तो कुर्सी पर बैठ करके अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने में वह बीस बार सोचेगा। इसलिए उनको अधिकार मिलना चाहिए। यह केवल इन लोगों के लिए नहीं तो आर०पी०एफ० के लोग हैं, यह कारखानों में जो मजदूर हैं हम उनके लिए कहते हैं कि अगर ज्यादा हक उनको मिला तो मिल मालिक को ज्यादा कमाने में थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि वे सब अपना हिस्सा मांगेगे। इसलिए हमने उस अधिकारी से कहा था। हमने उसको अपमानित करने के लिए नहीं कहा था। अपनी सोच के मुताबिक ही कहा था। ये आर०पी०एफ० के लोग जाफर शरीफ साहब भी जानते हैं, हमारे समय में भी यह सवाल आता था कि जार्ज फर्नांडिज़ बहुत बड़े श्रमिक नेता अपने को कहते थे, रेल मंत्री थे तब भी यह सवाल जब आता था तो रेलवे के अधिकारी, गृह मंत्रालय के अधिकारी बहुत अड़ंगेबाजी डालते थे। इसमें कुल मिला करके पेंच इतना फंसा कि सन् 1973 में रेल मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया था कि आर०पी०एफ० में अब कोई डेपुटेशन की प्रथा नहीं रहेगी। यह जो आई०पी०एस० के अधिकारी हैं, बड़े-बड़े अधिकारी, ये नहीं आया करेंगे, बल्कि आर०पी०एफ० के लोगों में से ही

[श्री जनेश्वर मिश्र]

तरक्की करके अपनी जगह पर जायेंगे। तब यह इन सब को नागवार लगा था। बंसी लाल जी रेल मंत्री हुए। उन लोगों ने उनके कान भरे कि इन सब को सशस्त्र बल दे दीजिए हथियार दे दीजिए और जैसे ही हथियार दिए गए, तो कहा गया कि हथियारबंद संगठन को एसोसिएशन की मान्यता नहीं दी जा सकती। पंच यहां फसा दिया गया। मैं चाहूंगा कि जाफर साहब इसका अध्ययन करेंगे। यह जो हथियारबंद लोग हैं ये रेलवे के कर्मचारी हैं। बाकी हथियारबंद जो होते हैं वे रही साहब के विभाग के, गृह मंत्रालय के कर्मचारी होते हैं। वे कानून और व्यवस्था नहीं देखते। वे रेल की सुरक्षा के लिए भर्ती हैं। वे सिविल सर्वेन्ट्स संविधान की उस धारा के मुताबिक 311 जिसकी तरफ कमला जी ने इशारा किया, उस धारा के मुताबिक सिविल सर्वेन्ट्स की श्रेणी में आते हैं। संविधान सिविल सर्वेन्ट्स के लिए कुछ अधिकार देता है अपनी एसोसिएशन बनाने का, अपनी यूनियन बनाने का, अपने दुख-दर्द कहने का। कई बार पार्लियामेंट, की, संसद् की, लोक सभा की समितियों ने सिफारिश की है कि रेलवे सुरक्षा बल को केवल रेल की सुरक्षा के लिए ही रखा जाए और इसे दूसरे काम में नहीं लगाया जाए। आजकल जो प्रधान मंत्री हैं सन् 1984 में गृह मंत्री थे, लोक सभा की आम राय के बाद उन्होंने यह आदेश दिया था कि रेलवे सुरक्षा बल को और किसी कानून व्यवस्था के काम-काज में नहीं लगाया जाएगा। जो नियम बनाने वाली समिति हुआ करती है उस समिति के मायने 8वीं और 9वीं लोक सभा की उन समितियों की रिपोर्ट को अगर पढ़ेंगे रेल मंत्री जी, तो उसमें तीसरी रिपोर्ट में साफ-साफ लिखा है कि जो रेलवे सुरक्षा बल के लोगों का एसोसिएशन बनाने का अधिकार छीना गया यह अवांछनीय काम था और इसे वापस लेना चाहिए। यह सिफारिश है। यह पार्लियामेंट है, इसकी कमेटियां होती हैं और वे सिफारिश करती हैं। उन पर महज गृह मंत्रालय अड़ंगा लगाए या आपके विभाग के आर०पी०एफ० के बड़े अधिकारी रेलवे बोर्ड में अड़ंगा लगाएं तो इसको रोक दिया जाए। यह अच्छा नहीं होता।

ईश दत्त जी की सलाह मुझे बहुत अच्छी लगी कि इनको अधिकार ज्यादा देने चाहिएं यह जो प्रदेश की पुलिस होती है रेलवे स्टेशन पर जिसकी तैनाती की जाती है वह प्रदेश की पुलिस आम तौर से वहां के मुकामी लोगों के साथ उसके रिश्ते होते हैं। रेल से उसका रिश्ता नहीं रहता। मैं अपना बताऊं, मैं पार्लियामेंट में यहां नहीं आया था राज्य सभा में, एक दिन रेल से जा रहा था इलाहाबाद से देवरिया। देवरिया एक प्रोग्राम में जाना था। बनारस से पहले मेरी नींद खुली तो मेरी अटैची गायब थी। अखबार में छपा कि "भूतपूर्व रेल मंत्री का सामान रेल से गायब"। हम ने जाफर शरीफ साहब को चिट्ठी लिखी कि हमारे साथ ऐसा हो गया तो इन्होंने अपनी मजबूरी जतायी कि रेलवे में जो चोरी होती है, इस तरह की घटनाएं होती है, इन घटनाओं के लिए रेल मंत्रालय जिम्मेदार नहीं होता बल्कि जी०आर०पी० जिम्मेदार होती है। यह इन की मजबूरी है। हम किसी के होटल में जाकर ठहर जाए तो हमारी रक्षा कौन करेगा?

महोदया, हम अपने साथ सेक्युरिटी लेकर कभी नहीं चलते हैं कि वह हमारी हिफाजत करेगा। रामलाल रही जी ने सेक्युरिटी दी नहीं, हम ने मांगी भी नहीं यह भी सही है। तो मैं कह रहा था कि हम जहां रहेंगे वहां के लोगों को हमारी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम तो पालियामेंट के मेंबर है, सामान्य आदमी की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी उस महकमे को जिसे मैं पैसा देकर हम चल रहे हैं। किसी होटल में अगर हमारा सामान चोरी चला जाए तो वह पुलिस की जिम्मेदारी नहीं होगी, होटल की जिम्मेदारी होगी। किसी धर्मशाला में सामान चोरी चला जाय तो धर्मशाला के मालिक की जिम्मेदारी होगी। इसीलिए कोई-कोई धर्मशाला में लिखा होता है कि "अपने सामान की रखवाली खुद करें, अपना ताला लगाएं, धर्मशाला का मैनेजमेंट जिम्मेदार नहीं है"। उसी तरह उसकी धर्मशाला की भाषा में जाफर शरीफ साहब का रेलवे विभाग लिखता है कि अपने सामान की हिफाजत खुद करिए, रेलवे विभाग जिम्मेदार नहीं है। एक तरफ तो कहेंगे कि रेलवे आप की संपत्ति है। उस संपत्ति की हिफाजत आर०पी०एफ० के लोग करेंगे। रेल यात्रियों की संपत्ति की हिफाजत कौन करेगा?

मैडम, रेलवे अपने आप में बहुत बड़ी संस्था है। जो इसके कर्मचारी हैं, वह बहुत ही संजीदा किस्म के हैं। वह अपनी यूनियन की मांग करते हैं, हल्ला मचाते हैं, मंत्रियों के यहां जाते हैं, बोर्ड्स के मेंबर्स के यहां जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि रेलवे के काम में उन्होंने कोई व्यवधान डाला हो। उन की यह महानता रही है। उनका यह योगदान रहा है। एक आर०पी०एफ० का जवान भी आप के काम में व्यवधान नहीं डालता। बीच में थोड़े दिनों के लिए आप के आदेश की वजह से सन् 73 के रेलवे [illegible] के आदेश के मुताबिक डेपुटेशन पर आए हुए बड़े अफसर जोकि डी०जी० और इस तरह के पदों पर आते थे, उन्होंने कहा कि अगर डेपुटेशन की प्रथा खत्म हो जाएगी और ये सब तरक्की करेंगे तो हमारी चल नहीं पाएगी। इसलिए उन लोगों ने उस समय के रेल मंत्री को समझाकर उन को हथियार दिलवाए और फिर

उनका एसोसिएशन का अधिकार छिनवाया और अब अगर रेलवे में गड़बड़ी होती है तो उनकी सीधी जिम्मेदारी नहीं आती है। मालिक तो वह पूरे-के-पूरे बन जाते हैं, लेकिन अगर कोई चोरी हो जाये तो आर०पी०एफ० के लोगों पर जिम्मेदारी थोपकर दूध के धुले बन जाते हैं। तो इस मामूली-सी हरकत के कारण आर०पी०एफ० का जवान फंसा हुआ है। इस में कोई संवैधानिक बात नहीं है। यह अगर कोई गृह मंत्रालय का कर्मचारी होता या एन्ट्री के गृह मंत्रालय के कर्मचारी, पुलिस के सिपाही होते हैं, उन को भी कहीं-कहीं मायता दी जा रही है एसोसिएशन बनाने की। सन् 69 के जमाने में जब उत्तर प्रदेश में पी०एस०ई० का विद्रोह हुआ था तो उस समय भी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लोगों की मान्यता नहीं छीनी गयी थी। अब यह माना जा रहा है कि यह भी हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो आंदोलन करना, हड़ताल करना तो आदमी का हक है। इस को रोका नहीं जाना चाहिए। एक बार इमरजेंसी के दौरान रोका गया था, उस का नतीजा खराब हो गया। थोड़ी देर के लिए मन की भड़ास निकल जाती है और बैठकर प्रस्ताव पास करते हैं, लेकिन उस से ज्यादा कुछ नहीं होता। तो कर्मचारी को इतना हक तो दिया जाना चाहिए। इसलिए मैं जाफर शरीफ साहब से निवेदन करूंगा कि वह चन्द्रकला पाण्डेय जी को मना लें। उन्होंने तो प्रस्ताव रखा है, वह अपने आप में बहुत अच्छा है। वह अगर उस को मान लेते हैं तो जाफर शरीफ साहब की शराफत इस गुंबद के ऊपर चली जाएगी। कभी-कभी विपक्ष की बात भी सत्ता में बैठे हुए लोगों को मान लेनी चाहिए और कभी-कभी सत्ता में बैठे हुए लोगों की बात विपक्ष के लोगों को मान लेनी चाहिए। संसदीय जनतंत्र का यही चरित्र होना चाहिए। तो अगर जाफर शरीफ साहब मान लेते हैं तो इनका सम्मान बहुत ऊंचा हो जाएगा। मैं जानता हूं कि इस समय राजनीतिक जीवन में यह अति-पीड़ित व्यक्ति है। लेकिन उसके बाद भी इनका सम्मान बढ़ जाएगा। अगर उनको मानने में दिक्कत पड़ रही है, उनके विभाग के अधिकारी कुछ कानूनी दिक्कत कर रहे हैं तो चन्द्रकला जी को यह आश्वासन दे दें कि यह जल्दी ही 10 दिन में, 15 दिन में, महीना में या अगले सत्र तक आर०पी०एफ० के लोगों को एसोसिएशन बनाने का अधिकार, जिस लाइन पर अब तक बातें हो चुकी हैं लगभग उसकी लाइन पर एक प्रस्ताव लाकर वह अधिकार उनको वापस करा देंगे और तब मैं चन्द्रकला जी से कहूंगा कि अगर जाफर शरीफ साहब आपकी बात नहीं मानते तो आप ही इनकी बात मान लीजिएगा और दोनों एक सद्बुद्धि के साथ, गुडविल के साथ आश्वासन देते हुए इसका रास्ता खोलें क्योंकि यह बहुत दिनों से उलझा है। कई परिवार इस उलझे हुए सवाल के नाम पर से बर्बाद हो चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि इसका कोई न कोई हल निकल जाए ताकि आज के मजदूर आंदोलन को या वह लोग जो एसोसिएशन और यूनियन के लिए लड़ा करते हैं अपने हक के लिए, उनको एक बड़ा ही तंदरुस्त संदेश जाएगा और हम समझते हैं कि जाफर साहब के उस संदेश के लिए उनकी हैसियत में इजाफा होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI C. K. JAFFER SHARIEF: Madam Vice-Chairman, I am very grateful to the hon. Members for their participation in this discussion and for their valuable suggestions. My predecessor, Shri Janeshwar Misra, has just now concluded his speech. He knows the problems and he has diagonised them properly. He knows the difficulties also. He made one very good suggestion. The suggestion is that sometimes the Government should agree to the suggestions of the Opposition and sometimes the Opposition should agree with the Government. It is a supplementary, complementary, role in the service of the nation.

Madam, I have not hesitated on such occasions. Only the day before yesterday, during Question Hour, the Opposition Members demanded a house Committee. I have rightly conceded because there was nothing for me to hide. I readily responded. In fact, I am very grateful to janeshwar Misraji. He has rightly mentioned that it was the Congress party Members who squatted on the floor of the House when he was a Minister, when he was called to the House by the Speaker. Even today when I was entering this House it was the Congress party Members who were pressurising me outside. One of my friends was complaining that I was not in the House. All parties have taken interest in this. It is not a question of any one single party. All parties have taken a lot of interest. I entirely agree with one of the observations of janeshwar Misraji that the deputation of IPS people into the RPF

[Shri C. K. Jaffer Sharief]

management has not helped this Force to build its cadre. I entirely agree with him from that point of view. This Force has to be developed. During the course of discussion a number of Members have given expression to various shortcomings. I must point out that it has been in the knowledge of everybody that the general law and order situation is reflected even on the Railways. My esteemed predecessor knows that the Ministry of Railways bears 50 per cent of the cost of the Government Railway Police, GRP. In spite of that, I had made an observation in this very House during the course of the last Budget discussion. If any IPS officer from the State is sent to the GRP, that officer feels that it is a very unimportant assignment and he is not wanted by the State Government. He does not want to come to the Railways. He must be having in mind other important areas which he feels are important, not the Railways. That itself is a serious thing which has been breaking my head for the last five years. Why should we not think of giving some place of pride to IPS officers when we think of building RPF's own cadre to man its own affairs, to look after the property of the Railways, the interest of the travelling public? At the same time, the IAS officers who want to come to the Railways, should feel pride in coming to the Railways. But, today, that is not so. It is a very unfortunate thing. The fact remains that somehow or the other, for the IPS officer who wanted an opportunity to come here, it has always been a bad luck in developing this cadre. That aspect has to be studied.

While this issue is being discussed in this House and in the other House, this matter is also before the Supreme Court. The RPF Association has appealed to the Supreme Court. This matter is before a five-member Bench of the Supreme Court. I don't know whether it would be prudent for us to go into it because of the various issues involved in it. As the well-wishers of the RPF, I think we can wait because everybody is equally interested in it. Still some knowledgeable people, who are having more knowledge in law, can advice us on this issue which will be very helpful to the RPF and to the Government. So, keeping in mind the sentiments expresed by the hon. Members of various parties and taking into consideration the spirit of the Bill which Shrimati Chandra Kala Pandey has brought in, and also keeping in mind that the matter is before the Supreme Court, if the House agrees and if Shrimati Chandra Kala Pandey agrees, I would request the House to give me a little more time to go into the whole aspect so that we can come before the House with a comprehensive Bill which can take care of the suggestions expressed by the hon. Members. That is what, I thought, I should submit to the House. I hope the House will agree to it. Thank you.

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय (पश्चिमी बंगाल): महोदया, मैंने अपने सासंद मित्रों की बातें ध्यान से सुनी, लोक सभा में भी इस विधेयक पर काफी विस्तारपूर्वक चर्चा हो चुकी है और भूतपूर्व विपक्ष के लोग, वर्तमान विपक्ष के लोग सभी की राय रही है कि रेलवे प्रोटक्शन फोर्स को...(**व्यवधान**)

श्री जनेश्वर मिश्र: भूतपूर्व विपक्ष के लोग?

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय: यह तो संसद में होता ही रहता है। कभी कोई भूतपूर्व विपक्ष होता है, कभी कोई वर्तमान विपक्ष होता है।

श्री गोविन्दराम मिरी (मध्य प्रदेश): भावी विपक्ष कौन होगा?

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय: भावी विपक्ष कौन होगा, यह तो निश्चित है। लेकिन भावी विपक्ष कोई न कोई तो होगा ही।

मुझे लगा कि इस पर सभी एक मत हैं और सभी चाहते हैं कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को अधिक अधिकार दिए जाएं जिससे कि रेलवे की सम्पत्ति की बेहतर सुरक्षा कर सकें।

श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ: यह भी एक मुद्दा है जो काफी लोगों ने कहा है।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय: मैं तो यही कहना चाह रही हूं आपसे कि उन्हें अधिकार दिए जाएं, उनके कर्तव्य भी निर्धारित किए जाएं उनको एसोसिएशन बनाने का भी

मौका दिया जाए, क्योंकि हमारे संविधान के तहत जैसा कमला सिन्हा जी ने कहा, यह निश्चित है कि अगर कोई भी एसोसिएशन देश की सॉवरिन्टी को खतरा पैदा नहीं करती तो उसे एसोसिएशन बनाने का मौका देना चाहिए। सारी बातें यहां की जा चुकी हैं। रेल में जो स्वयं चोरी के हादसे का शिकार हो चुका है वही इस दर्द का इस पीड़ा का अनुभव कर सकता है और मैं इसका शिकार खुद भी हो चुकी हूं।

श्री सी० के० जाफर शरीफ: भूतपूर्व मंत्री भी हो चुके हैं।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय: भूतपूर्व मंत्री भी हो चुके हैं। पता नहीं, वर्तमान मंत्री जी भी हुए हों? और अगर नहीं हुए होंगे तो यह हादसा उनके साथ जरूर गुजरे, मैं तहेदिल से चाहूंगी कि यह हादसा उनके साथ जरूर गुजरे। उसके बाद मैं केवल उनसे आश्वासन चाहूंगी कि जैसा कि उन्होंने हल्का सा आश्वासन दिया भी कि या तो इस विधेयक को जो मैंने स्थापित किया, जैसा कि भाई ईश दत्त यादव जी ने कहा कि ज्यों का त्यों स्वीकार करलें या जैसा उन्होंने समय मांगा है, समय लेकर और हमें आश्वासन दें कि एक जोरदार विधेयक यहां लाएंगे जिससे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को अधिक शक्ति दी जाएगी, वह वास्तव में फोर्सफुल होगी और सचमुच सब अर्थों में रेलवे की सुरक्षा, रेलवे की सम्पत्ति की सुरक्षा, रेलवे की सम्पत्ति तो यात्री होते हैं, उनकी सुरक्षा तथा सबकी गारंटी दी जा सकेगी। मैं माननीय मंत्री जी से यह आश्वासन चाहूंगी। यदि वह आश्वासन दें तो मैं बिल को वापिस ले लूं।

श्री सी० के० जाफर शरीफ: मैडम, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मुझे इसमें रुचि भी है, आशक्ति भी है और सहानुभूति भी है। सारे मुद्दों को लेकर के हम सामने लाएंगे जिसमें सारी भावनाओं को जोड़ा जाएगा।

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Mrs. Pandey, are you withdrawing your Bill?

SHRIMATI CHANDRA KALA PANDEY: Madam, in view of the Minister's assurance, I seek leave of the House to withdraw the Bill.

The Bill was, by leave, withdrawn.

THE RESERVATION OF POSTS FOR WOMEN IN GOVERNMENT SERVICES BILL, 1994

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Now I will take up the Reservation of Posts for Women in Govenment Services Bill, 1994. Shrimati Veena Verma.

श्रीमती वीणा वर्मा (मध्य प्रदेश): मैं प्रस्ताव करती हूं कि:

> "महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाकर समाज में उनकी दशा सुधारने हेतु सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण और तत्संगत मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, तो आपने इस समय सदन में मेरे गैर सरकारी विधेयक पर चर्चा करने के लिए समय दिया है। यह विधेयक सम्पूर्ण भारत पर लागू हो, ऐसी मेरी इच्छा है, इस विधेयक का आशय है। मैं तो चाहती हूं कि सारा सदन इसको सपोर्ट करेगा। जैसा कि समय-समय पर मांग रहती रही है। ...(**व्यवधान**) देखिए, सुनने से पहले हथियार डालना अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं, हम इस पर एक हैल्दी चर्चा करें और महिलाओं की स्थिति, वास्तविक स्थिति जो है, उस पर विचार करें और गंभीरतापूर्वक इसको स्वीकार करें। इसके अनुसार समुचित सरकार, केन्द्र व राज्य सरकारें सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करेंगी इस बिल को मैंने सर्वप्रथम 30 अप्रैल, 93 को इस सदन में रखा था लेकिन आज चर्चा के लिए आया है।

महोदया, किसी भी देश की आधी जनसंख्या महिला होती है और हमारे देश की भी आधी जनसंख्या महिला है और किसी भी समाज की गाड़ी के दो पहिए कहलाते हैं स्त्री और पुरुष और आज तक हज़ारों सालों से इस गाड़ी के दो पहिए की स्थिति देखें तो एक तरफ पुरुष है और दूसरी तरफ महिला। पुरुष यही मानकर चलता है कि पुरुष सत्तात्मक परिवार समाज में एक पहिया है जिसका कि प्रतिनिधित्व बहुत ज्यादा है और दूसरा पहिया जो स्त्री है, उसको वह कहीं भी नज़र नहीं आती तो वह जीवन की गाड़ी कैसे चल सकती है? वह समाज कैसे विकास कर सकता है? समय-समय पर चाहे वे बड़े-बड़े समाज-सुधारक हों महात्मा गांधी हों या बाल गंगाधर तिलक हों, (**व्यवधान**).... बहुत समय से प्राइवेट